न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण R 70 - II-17

1. सुखनन्दन पुत्र श्री कुन्दनलाल गंगेले
2. मुन्नालाल पुत्र श्री कुन्दनलाल गंगेले
3. परमानंद पुत्र श्री शिवरामदास तिवारी
4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री रामसेवक प्रसाद मिश्रा
5. पुरूषोत्तम नारायण पुत्र श्री सीताराम तिवारी

समस्त निवासीगण पंचमनगर कॉलोनी वार्ड–11 चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

6. कैशव प्रसाद शेषा पुत्र श्री हरनारायण शेषा निवासी कारदीपुरा शंकर मंदिर के पास चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. बृजमोहन पुत्र चौखेलाल शर्मा
2. सुरेश पुत्र चौखेलाल शर्मा
3. विष्णुप्रसाद पुत्र चौखेलाल शर्मा
4. राकेश पुत्र चौखेलाल शर्मा
5. मुरारीलाल पुत्र चौखेलाल शर्मा
6. अवधोबाई पत्नी चौखेलाल शर्मा

समस्त निवासीगण ग्राम नदावन तहसील खनियाधाना हाल निवासी वार्ड कं. 11 चौखट्टा मंदिर के पास चंदेरी तह. चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

7 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 28-9-18 के पालन में उक्त संशोधन किया।
29-10-18

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक /02 पुर्ना/15–16 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, शासन द्वारा कस्बा चंदेरी की भूमि सर्वे नं. 662/मिन 2 कुल रकवा 1.182 है0 पठार भूमि जो शासकीय है मंदिर को प्रदान की गई थी। जिस पर वर्तमान में श्री, श्री 1008 श्री चौखट्टा मंदिर कस्बा चंदेरी, पिछोर रोड़ में मंदिन बना है एवं मंदिर को दी गयी खुली भूमि शासकीय भूमि है। इस मंदिर एवं मंदिर की खुली भूमि पर किसी का कोई संबंध नहीं है।

3– यह कि, मंदिर से लगी शासकीय भूमि पर पत्थर की बाउण्ड्री है उक्त खाली पडी भूमि मंदिर परिसर में ही उक्त भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि है व्यकित विशेष उक्त भूमि का उपयोग नहीं कर सकते न ही उक्त भूमि के पट्टे दिये जा सकते ।

4– यह कि, मंदिर से लगी शासकीय भूमि कस्बा चंदेरी में स्थित होकर मैन रोड पर है जिसकी बाजारू कीमत करोडों में है अनावेदकगण सभी एक परिवार के सदस्य है मंदिर के पूर्व पुजारी से अनावेदकगण का कोई संबंध नहीं था। अनावेदकगण सभी एक परिवार के व्यक्तियों ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैधानिक रूप से निवास करने लगे हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 70–दो/2017 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 02/15–16 पुर्ना. में पारित आदेश दि. 22–11–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी व्दारा आदेश दि. 26–9–13 से चंदेरी नगर स्थित भूमि सर्वे क. 662 मिन 2 रकबा 1–182 है. में मुख्य मंत्री आश्रय योजना के अधीन पटटे वितरित किये गये थे, जिनकी अपील अपर कलेक्टर अशोकनगर को हुई एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्र.क. 3/ 13–14 अपील में पारित आदेश दि. 18–12–14 से अपील अंशतः स्वीकार कर पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। 3/ अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही कलेक्टर जिला अशोकनगर को उक्त पटटे निरस्त करने हेतु शिकायती आवेदन दिया गया, जिसे सम्मिलित कर सुनवाई हुई एंव हितबद्व पक्षकारों को सुना जाकर आदेश दिनांक 22–11–16 पारित करके शिकायत नस्तीबद्व करते हुये प्रकरण कमांक 02/15–16 पुर्ना. निरस्त कर दिया गया। फलतः मुख्य मंत्री आश्रय योजना के अधीन दिये पटटे यथावत् रहे। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं है। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संषोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	